उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 13–अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2013 दिनांकः 15 फरवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्द्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता(वैद्युत एवं यांत्रिकी) को अधीक्षण अभियन्ता, (वैद्युत एवं यांत्रिकी) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है एवं स्तम्भ संख्या–03 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या–04 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम/अभि0सं0/गृहजनपद/सेवानिवृत्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	प्रोन्नति/स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सुनील मोहन अग्रवाल 81191/लखनऊ 30.11.2014	अधिशासी अभियन्ता, ऊर्जा प्रणाली, लखनऊ।	अधीक्षण अभियन्ता, ऊर्जा प्रणली लखनऊ
2.	श्री जैनुल आबदीन (पि0जाति) 81192/कानपुर 28.02.2013	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, पनकी (कानपुर)	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत संचार एवं नियंत्रण लखनऊ
3.	श्री अजय पाल सिंह 81196/कानपुर 30.06.2014	अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध विद्युत वितरण मण्डल, मैनपुरी।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल मैनपुरी
4.	श्री ब्रृजेश सिंह गंगवार (पि0जाति) 81197/फर्रूखाबाद 31.08.2017	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–द्वितीय, अलीगढ़।	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल फिरोजाबाद
5.	श्री प्रदीप कुमार निगम 82003/कानपुर 31.01.2016	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, मेरठ।	अधीक्षण अभियन्ता विद्युत भण्डार मण्डल मेरठ

2– उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21–3–2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3– उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।

4– नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0–5910–गोपन/पाकालि(06)–2001 दिनांक 11–6–2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकंन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

5– उपरोक्त अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि निदेशक पद पर चयनित अधिकारियों की किसी कारणवश प्रत्यावर्तन/पदच्युत के फलस्वरूप उनके मूल संवर्ग में अपने ज्येष्ठताक्रम में स्थापित किया जायेगा जिसके फलस्वरूप कनिष्ठतम प्रोन्नत अधिकारी पदावनत हो जाएगा।

15/2/13

प्रबन्ध निदेशक